झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2015) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2015) हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का दिनांक–06.12.2021 से दिनांक–09.12.2021 तक अभिलेख सत्यापन एवं दिनांक–07.12.2021 से दिनांक–10.12.2021 तक साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथिवार पूर्ण विवरणी दिनांक–01.12.2021 तक आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दी जायेगी।

2. साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार एवं समयानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–01.12.2021 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–+919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराह्न–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।
4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
(iii) कोटि–1 (शष्य) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(iv) कोटि–2 (कृषि अभियंत्रण) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(v) कोटि–3 (कृषि रसायन) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(vi) कोटि–5 (पौधा संरक्षण) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(vii) कोटि–7 (उद्यान) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान/वानिकी/कृषि विज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(viii) कोटि–8 (माप (तौल विपणन) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी में प्रतिष्ठा) अथवा कृषि विज्ञान/अभियंत्रण में से किसी एक विषय में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(ix) कोटि–9 (सांख्यिकी) हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(x) जाति प्रमाण पत्र जो (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–5682, दिनांक–22.10.2008 एवं ज्ञापांक–10007, दिनांक–29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II) के अनुसार है तथा जिसकी प्रविष्टि Online Application में की गयी है।
(xi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(xii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(xiii) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

5. अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
6. वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक से अधिक पद हेतु आवेदन किया गया है, वे ही अधिमानता प्रपत्र में अधिमानता क्रमानुसार अंकित करेंगे, विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी साक्षात्कार में एक बार ही शामिल होंगे तथा उक्त साक्षात्कार में प्राप्त अंक, मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक तथा अभ्यर्थी द्वारा अंकित अधिमानता के आधार पर उनका चयन होगा।
7. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।
8. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। सभी अभ्यर्थी Covid-19 को देखते हुए सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देश यथा मास्क पहनना, हैंडगलप्स पहनना, हैंडसेनिटाइज करना एवं सामाजिक दूरी आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हैंडसेनीटाइजर की छोटी शीशी अपने उपयोग हेतु साथ में रखेंगे।
9. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।

झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2015) हेतु पद अधिमानता प्रपत्र।

1.

Name	
Registration Number	
Name of the posts in which applied	
Roll Number	
Category (UNR/ST/SC/BC-I BC-II)	

2.

क्र0 सं0	पद का नाम	अधिमानता क्रम
1	कोटि–1 शष्य (Agronomy)	
2	कोटि–3 कृषि रसायन (Agricultural Chemistry)	
3	कोटि–5 पौधा संरक्षण (Plant Protection)	
4	कोटि–7 उद्यान (Horticulture)	
5	कोटि–8 माप तौल विपणन (Weight Measurement & Marketing)	

3.

क्र0 सं0	पद का नाम	अधिमानता क्रम
1	कोटि–2 कृषि अभियंत्रण (Agricultural Engineering)	
2	कोटि–8 माप तौल विपणन (Weight Measurement & Marketing)	

Note:-Merit List will be prepared on the basis of marks obtained in written exam and interview for all the posts in which you qualify. Preference will be applicable only for the post in which the candidate has qualified for interview.

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :–

हिन्दी :–

अंग्रेजी :–

दिनांक :–